14775 1170/06

25000
भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES
25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251015

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. वार्ड परगना : लखनऊ
3. मोहल्ला / ग्राम : सरसवां
4. सम्पत्ति का विवरण : गाटा संख्या 449,464
5. मापन की इकाई : हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.465 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति : सामान्य
8. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि
9. बोरिंग / कुआं / अन्य : नहीं
10. प्रतिफल की धनराशि: 36,76,800 / –

१७-१२-०६
२ 5000

[illegible]

[illegible] [illegible]

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

251016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11. चौहद्दी :- खसरा नं0 449

पूरब	:	खसरा संख्या 465
पश्चिम	:	खसरा संख्या 448
उत्तर	:	खसरा संख्या 440,441
दक्षिण	:	खसरा संख्या 450

चौहद्दी :- खसरा नं0 464

पूरब	:	खसरा संख्या 463
पश्चिम	:	खसरा संख्या 450
उत्तर	:	खसरा संख्या 465
दक्षिण	:	खसरा संख्या 462

19.1.06

[illegible]

मुख्य कोषाधिकारी

[illegible] कोषाधिकारी

25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 DEC 2017

प्रथम पक्ष की संख्या (2)		द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण		क्रेता का विवरण
1. नाम	: कल्लू	नाम अंदल प्रापर्टीज प्रा०लि० 61 बसन्त एवेन्यू अमृतसर पंजाब द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री किशोरी लाल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल
पिता का नाम	: तुलसी राम	
स्थाई पता	: शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ	स्थायी पता कस्बा हसनपुर तहसील होडल जिला फरीदाबाद, हरियाणा
2. नाम	: सृजन	
पिता का नाम	: तुलसी राम	
स्थाई पता	: शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ	

19-12-1
2500.-
37504

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251018

15 DEC 20

A.T.O. TRY LKO

3. नाम : शिशुपाल पिता का नाम : तुलसी राम स्थाई पता : शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ 4. नाम : श्रृंगार पिता का नाम : तुलसी राम स्थाई पता : शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ	

[illegible] लखनऊ

दिनांक 19-11-06

मूल्य 2500/- रुपये

[illegible]

द्वारा [illegible]

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. नाम : रवि पिता का नाम : तुलसी राम स्थाई पता : शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ	

बाजारू मूल्यःरुपये 10,17,200/-

स्टाम्प शुल्कःरुपये 3,67,700/-

विक्रय–विलेख

यह विक्रय विलेख **कल्लू, सृजन, शिशुपाल, श्रंगार व रवि पुत्रगण तुलसी राम** निवासीगण शाहखेड़ा परगना तहसील व जिला लखनऊ (जिसे विक्रेतागण कहा गया है) जो कि प्रथम

19-12-01

2500/-

[illegible] [illegible] [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पक्षकार है एवं **अदव्य प्रापर्टीज प्रा० लि०** पंजीकृत कार्यालय 61 बसन्त एवेंन्यू अमतसर पंजाब द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री किशोरी लाल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल निवासी एवं स्थायी तथा डाक पता कस्बा हसनपुर तहसील होडल जिला फरीदाबाद, हरियाणा (जिसे केता कहा गया है) जो कि दूसरा पक्षकार है के पक्ष में निम्न प्रकार से निष्पादित किया गया है।

19.12-08
2500-

(9)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251021

- 7 -

यह कि विक्रेतागण कृषि भूमि खसरा न0 449 रकबा 0.298 हेक्टेयर तथा खसरा न0 464 रकबा 0.167 हेक्टेयर कुल रकबा 0.465 हेक्टेयर स्थित **मौजा सरसवां** के मालिक व काबिज है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि राजस्व अभिलेखों में विक्रेतागण के नाम दर्ज हैं एवं विक्रेता इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक व काबिज है तथा वर्तमान समय में उक्त भूमि बंजर, ऊबड़ खाबड़, कहीं–कहीं पर छोटे बड़े गड्ढे है जोकि कृषि भूमि / अविकसित भूमि है।

सरजान

शिशुपाल

रवि कुमार

19-12-08

25000-

[illegible]

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251022

यह कि विक्रेतागण घोषित करते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक–साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवादित विषय वस्तु नहीं है न ही कुर्क इत्यादि है।

[illegible]

19-12-01

25000/-

[illegible] रुपया

[illegible]

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251023

-9-

विकेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति की स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विकेतागण को उक्त सम्पूर्ण भूमि विकय/अन्तरण करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

विकेतागण के उक्त आश्वासन के पश्चात केता उसी खसरा नम्बर को मय तादादी स्थित **मौजा सरसवां** परगना, तहसील व जिला लखनऊ को कय कर रहा है।

[illegible]

19-12-08

तिथि [illegible]

25.00

मूल्य [illegible]

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

स० रोकड़िया　　　　मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251024

अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रूपया कुल दादाही 36,76,800/-(रूपये छत्तीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ) मात्र के प्रातिफल में जिसका कि केता द्वारा विकेतागण को इस विकय-विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची-1 में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है तथा जिसकी प्राप्ति को विकेतागण यहाँ स्वीकार करते है।

17-12-51

25000/-

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्त र प्रदेश UTTAR PRADESH

25J025

- 11 -

उक्त विक्रेतागण ने क्रेता को उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि स्थित ग्राम सरसवां, जनपद लखनऊ को कतई बेच दिया एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी दे दिया है।

अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं होगा।

১৭-১২-০৬
২৫০০০/-
[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 251026

यह कि विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति से जुड़े अपने अन्य सभी अधिकार जैसे सुखाधिकार, विशेषाधिकार, आगम, हित सम्पत्ति की मांगों इत्यादि को भी एतद्द्वारा पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित व अन्तरित कर दिया अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे वाली सम्पत्ति के रूप में धारण उपयोग व उपभोग करेंगे, विक्रेतागण और उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन व बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे।

[illegible]

19-12-06

25000

मु

मद

द्वारा

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251027

यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेतागण के स्वामित्व में त्रुटि या विकेतागण के समय की कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा, खर्चा, विकेतागण की चल–अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें। विकेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु वाध्य होंगे।

दि० 19-12-05

मु० 2.5000

नाम [illegible]

द्वारा

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

251028

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों/नगर निगम/लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 19-12-06

मूल्य 2500/- [illegible] स्टाम्प

नाम [illegible]

ह० प०

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

03BB 848645

और यह कि इस विक्रय–विलेख के पूर्व का यदि किसी प्रकार का कोई बकाया होगा तो उसका भुगतान विक्रेतागण करेंगे तथा इस विक्रय विलेख के बाद का भुगतान क्रेता करेगा।

19-11-08
15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 115172

विकय शुदा भूमि कृषि एवं अविकसित भूमि है जिसकी बाजारी मूल्य रू0 21,87,500/– प्रति हेक्टेयर की दर से विकीत भूमि 0.465 हेक्टेयर की मालियत मुबलिग 10,17,200/– रुपया होती है। चूकि मालियत से विकय मूल्य अधिक है इसलिए विकय मूल्य पर नियमानुसार स्टाम्प मुबलिग 3,67,700/– रुपया अदा किया जा रहा है।

19-12-
1000
37505
मुख्य रोकड़िया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 115173

A.T.O/T.O. TRY.LKO.

उपरोक्त विक्रीत भूमि में वर्तमान में कृषि हो रही है जिसमें कोई पेड़ कुआँ, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि का निर्माण आदि नहीं है।

विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, प्रान्तीय / राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि समीपवर्ती लखनऊ – सुल्तानपुर रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता तथा केता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

১৭.১৮.০৫
১০০০
[illegible]

15 DEC 2006
A.T.O/T.O.
TRY.LKO

इस विकय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता के द्वारा वहन किया गया है।

अनुसूची — 1

रूपया 36,76,800/–(रूपये छत्तीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ) का भुगतान केता द्वारा विकेतागण को मार्फत चेक संख्या ००१८९८ चेक संख्या ००१८९९, चेक संख्या ००१९००, चेक संख्या ०२२८०१ तथा चेक संख्या ०२२८०२ जारीकर्ता यू.टी.आई. बैंक, लखनऊ के द्वारा भुगतान किया गया जिसकी प्राप्ति को विकेतागण यहाँ स्वीकार करते है।

দিন: 19-12-11

500

সুলেখা পোদ্দার

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 936689

अतः आज दिनाँक 19.12.2006, स्थान सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय लखनऊ में विकेतागण एवं केता ने समक्ष गवाहान इस विकय विलेख पर हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित

विक्रय पत्र

3,676,800.00/	**1,018,000.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती कल्लू
पुत्र / पुत्री श्री तुलसी राम
पेशा कृषि
निवासी स्थायी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/12/2006 समय 5:00PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

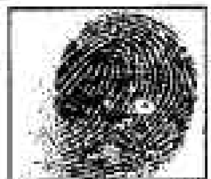

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती कल्लू
पुत्र/पत्नी श्री तुलसी राम
पेशा कृषि
निवासी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

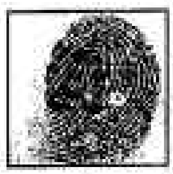

क्रेता
श्री/श्रीमती अवध प्रापर्टीज प्रा.लि.द्वा.अधि.प्रतिनिधि किशोरी लाल
पुत्र/पत्नी श्री राजेन्द्र गोयल
पेशा नौकरी
निवासी कस्बा हसनपुर तह.होडल जि.फरीदाबाद हरियाणा

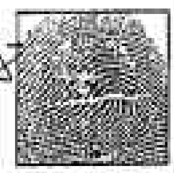

श्री/श्रीमती सूजन
पुत्र/पत्नी श्री तुलसी राम
पेशा कृषि
निवासी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

श्री/श्रीमती शिशुपाल
पुत्र/पत्नी श्री तुलसी राम
पेशा कृषि
निवासी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

श्री/श्रीमती श्रंगार
पुत्र/पत्नी श्री तुलसी राम
पेशा कृषि
निवासी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

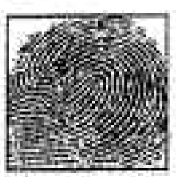

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 936690

किया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत साक्ष्य के रूप में पेश हो।

गवाहान: विक्रेता

1.नाम : सत्यप्रकाश सिंह

पुत्र श्री रामलखन सिंह

पता : निवासी सरकारी कालोनी ... मलिहाबाद लखनऊ

(कल्लू) (सुजन)

(शिशुपाल) (श्रृंगार) (रवि) रवि कुमार

2.नाम : के0 एल0 पाण्डेय

पुत्र स्व0 आर0 एन0 पाण्डेय

पता : सी –1 गहमरकुंज,

चिनहट, लखनऊ

क्रेता

(किशोरी लाल)

मसविदा

ब्रजेश कुमार पाण्डेय

एडवोकेट

सदर तहसील, लखनऊ

19-12-06

उप रोकड़िया

श्री/श्रीमती रवि
पुत्र/पत्नी श्री तुलसी राम रवि कुमार
पेशा कृषि
निवासी शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

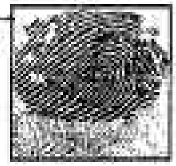

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सत्य प्रकाश मिश्रा
पुत्र श्री राम लखन मिश्रा
पेशा नौकरी
निवासी नीलमथा लखनऊ
व श्री के.एल.पान्डेय
पुत्र श्री स्व.आर.एन.पान्डेय
पेशा व्यापार
निवासी चिनहट,लखनऊ
ने की ।

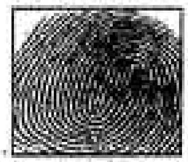

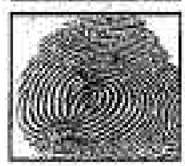

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/12/2006

રખરડા ખરડનો — ૫૫૧, ૪૬૫.

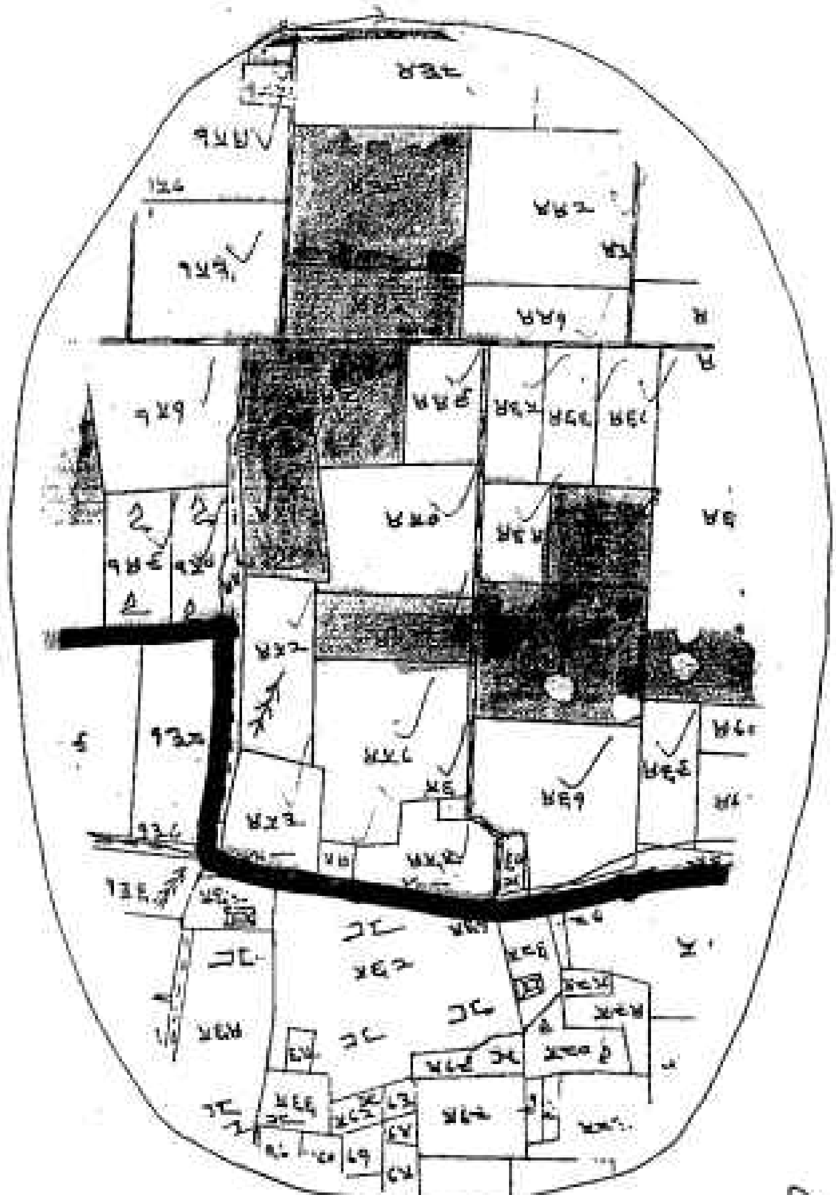

[illegible]

विक्रेता

Registration No 11790

Year : 2006 Book No. 1

0101 कल्लू

तुलसी राम

शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

कृषि

0102 सूजन

तुलसी राम

शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

कृषि

0103 शिशुपाल

तुलसी राम

शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

कृषि

0104 श्रृंगार

तुलसी राम

शाहखेड़ा पर.तह.व जिला-लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ व अंगुलियों के चिन्ह :-

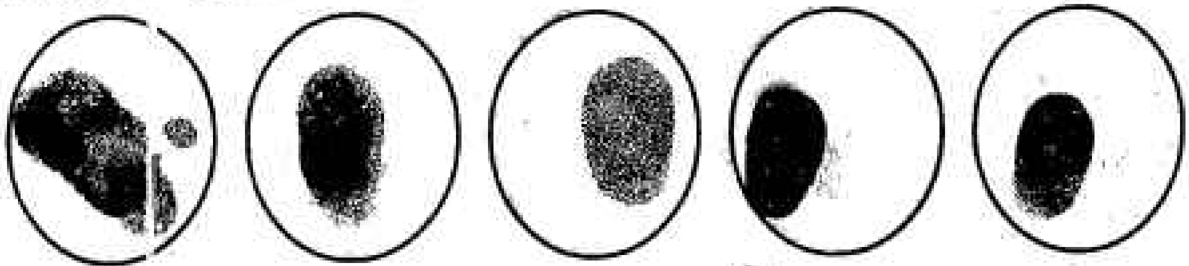

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

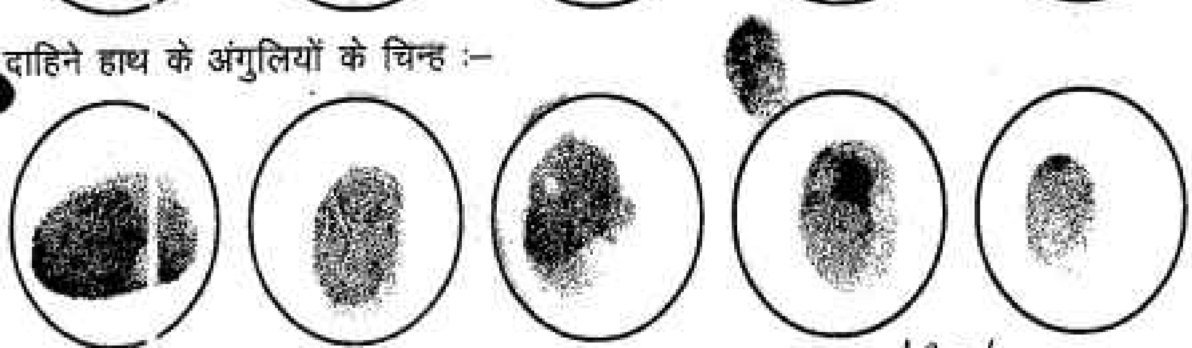

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 11790 Year : 2006 Book No. 1

0201 अदव्य प्रापर्टीज प्रा.लि.द्वा.अधि.प्रतिनिधि किशोरी लाल

राजेन्द्र गोयल

कस्बा हसनपुर तह.होडल जि.फरीदाबाद हरियाणा

नौकरी

फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता नाम व पता :- रवि

थ के अंगुलियों के चिन्ह :-

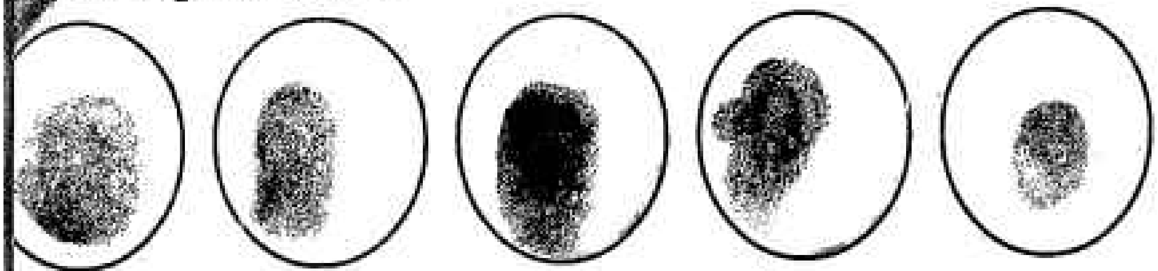

हिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

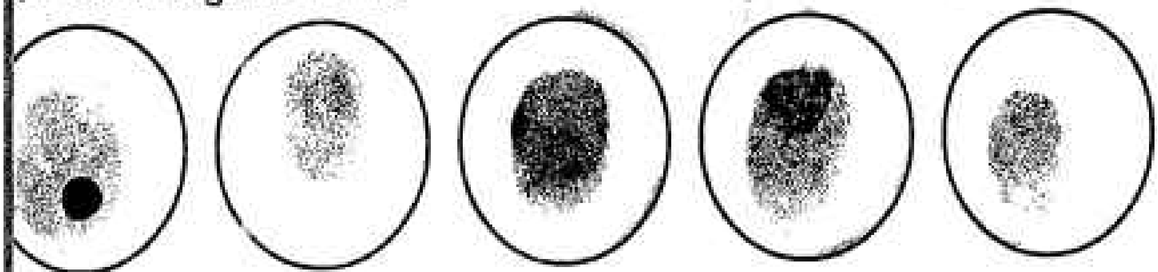

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / क्रेता नाम व पता :- किशोरी लाल

हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

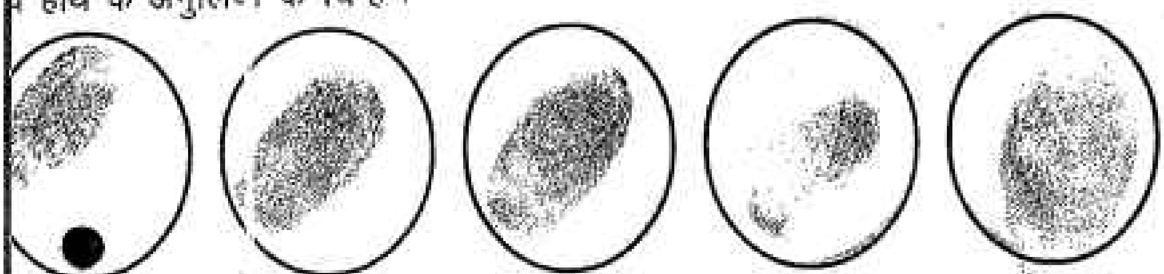

हिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

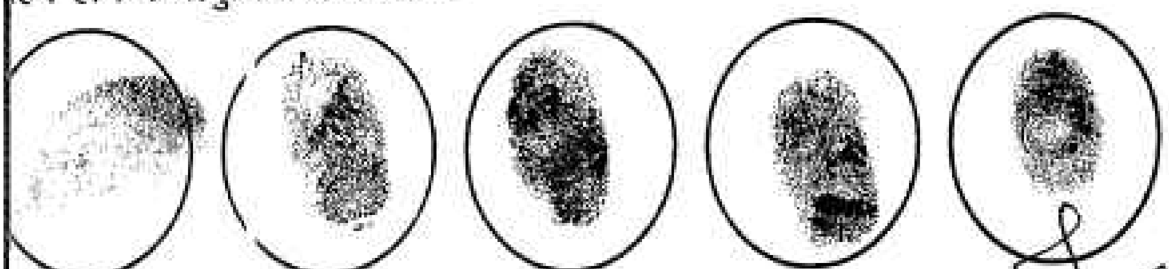

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **19/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **6265**

पृष्ठ सं. **183** से **230** पर कमांक **11790**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/12/2006